न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– एम0 के0 सिंह,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3237–तीन/14 विरूद्ध आदेश, दिनाक 10–3–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के अपील प्रकरण कमांक 73/अ–68/13–14.

मोहम्मद करीम खॅा तनय स्व0 अब्दुल रहमान
आयु 64 वर्ष, अध्यक्ष–सदर प्रबंध समिति वक्फ कब्रिस्तान
मुक्तसिल जेल रोड छतरपुर निवासी बसारी दरवाजा के पास
छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर म0 प्र0

.........आवेदक

विरूद्ध

1 श्रीमति मोमिना पत्नी तहज्जुद खां, आयु 65 वर्ष
निवासी जिला जेल के पीछे, छतरपुर
2 रियाज खां तनय फरीद खां, आयु 45 वर्ष
निवासी जिला जेल के पीछे, छतरपुर
3 श्रीमती कुरेशा पत्नी शरीफ खां, आयु 35 वर्ष
निवासी जिला जेल के पीछे, होमियो कॉलेज के सामन
छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर म0 प्र0
4 सुल्तान खां तनय श्री मुलायम खां, आयु 38 वर्ष
निवासी जिला जेल के पीछे, होमियो कॉलेज के सामने,
छतरपुर, तहसील व जिला छतरपुर म0 प्र0
5 मध्य प्रदेश शासन, द्वारा नजूल संधारण अपरीक्षक,
छतरपुर, तहसील व जिला छतरपुर म0 प्र0

–अनावेदकगण

श्री राजेन्द्र स्वरूप, अभिभाषक, आवेदक
श्री के0 के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1 एवं 2
श्री डी0 के0 पासी, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 3 एवं 4
श्री बी0 एन0 त्यागी, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 5

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 16-1-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 73 / अ–68 / 13–14 में पारित आदेश दिनांक 10–3–2014 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है ।

2 / प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार नजूल छतरपुर के न्यायालय में इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम छतरपुर स्थित आराजी सर्वे क्रमांक 2951 रकबा 1 .659 हैक्टेयर भूमि के अंश भाग पर अनावेदकगण द्वारा कच्चा मकान बनाकर कब्जा कर लिया है । उक्त भूमि अभिलेख में कब्रिस्तान दर्ज है । अतः उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का कष्ट करें । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 29 / अ–68 / 11–12 में पारित आदेश दिनांक 26–10–12 द्वारा अनावेदकगण को शासकीय भूमि से बेदख़ल किये जाने के आदेश प्रदान किये गये । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 31 / अपील / अ–68 / 12–13 में पारित आदेश दिनांक 27–9–13 द्वारा अपील निरस्त की । इस आदेश से परिवेदित होकर अनावेदकगण द्वारा अपील अपर आयुक्त सागर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण क्रमांक 73 / ए–68 / 13–14 में पारित आदेश दिनांक 10–3–14 द्वारा अपील स्वीकार की गई । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा इस न्यायालय में यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3 / प्रकरण में दोनों पक्षों द्वारा लिखित बहस पेश की गई है ।

4 / उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण कब्रिस्तान की भूमि के संबंध में है । अनावेदक का

कहना है कि वर्ष 1963 में उन्होंने आलोच्य भूमि क्रय की है और उक्त भूमि उनकी खानदानी संपत्ति होकर उसका मकान निर्मित है तथा उनके पास जितनी भूमि है उतनी भूमि पर वे संपत्ति कर दे रहे हैं । प्रकरण की जो स्थिति है उसमें यदि भूमि कब्रिस्तान की सिद्ध होती है तो उसमें किसी को भी अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं होता है परंतु इस संबंध में विधिवत जांच आवश्यक है । अपर आयुक्त ने अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को इस आधार पर स्वीकार किया है कि दस्तावेजों के संबंध में कोई जांच नहीं की गई और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और उन्होंने कई न्यायदृष्टांतों का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया है । परंतु उनके आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि उन्होंने भी प्रकरण में आई साक्ष्य की कोई विवेचना गुणदोष पर नहीं की है जबकि द्वितीय अपीलीय न्यायालय के नाते उनका यह कर्त्तव्य था कि वे इस संबंध में स्वयं साक्ष्य लेकर प्रकरण का निराकरण करते जो उनके द्वारा नहीं किचया गया है । दर्शित परिस्थिति में अपर आयुक्त का आलोच्य आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनकर एवं उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए प्रकरण में गुणदोषों पर बोलता हुआ आदेश पारित करें । अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर